JALAUN POLICE

दिनांक- 05.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में 03 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– अभियुक्तगण 1. सद्दाम उर्फ सलमान पुत्र हसन खान 2. प्रदीप उर्फ गैंगे उर्फ मनोज पुत्र पन्नालाल नाई नि0गण महतवानी थाना रेंढर जनपद जालौन 3. रोहित पुत्र रामलखन नि0 ग्राम कमसेरा थाना रेंढर जनपद जालौन द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाकर गलत कृत्य करने के सम्बन्ध में थाना रेंढर पर मु0अ0सं0 47/2023(वाद संख्या- 62/2023) धारा 363/366/376(घ)(क) भादवि व धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना रेंढर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 07.05.2023 को आरोप पत्र मान0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 05.01.2026 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण सद्दाम, प्रदीप व रोहित उपरोक्त को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 45,000/- 45,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की धनराशि में से 50,000/- रूपये पीड़िता को प्रतिकर स्वरुप प्रदान किया जायेगा।